


2156

2120



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Jharkhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-JH28379657995514S
 Certificate Issued Date : 04-Jun-2020 01:48 PM
 Account Reference : CSCACC (GV)/ jhcscg07/ JH-PLBIR0005/ JH-PL
 Unique Doc. Reference : SUBIN-JHJHCSCEG0742090491542298S
 Purchased by : KHUSHBU TIWARI
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : SALE DEED
 Consideration Price (Rs.) : 4,66,000
 (Four Lakh Sixty Six Thousand only)
 First Party : MANOHAR TIWARI
 Second Party : KHUSHBU TIWARI
 Stamp Duty Paid By : KHUSHBU TIWARI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 18,650
 (Eighteen Thousand Six Hundred And Fifty only)



Please write or type below this line.

निबंधन अधिनियम 21 तथा छोटाणा-पुर
 कारतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के
 अधीन एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के
 अनुसूची 1 या 1 क सं. के अधीन
 यथावत स्टाम्प सहित

26/6/2020

23
 26/6/2020

RS

मान्य आजी-

RS 0000374478

46600

18650

2001227767

प्रतिबंधित भूमि से प्लॉट
संख्या 1831 मुक्त है।



Online Fee Paid

ID/GRN No. 2001227767

A (1) 13980 -
L. L. R. 3
P. Fee 13984



श्री मनोहर तिवारी - जालाव देवास 4 जल रू. पा.
का 0.2 एम. गमन 0.2 एम. बा. ए. ए. का 0.2 एम.
का 0.2 एम. गमन 0.2 एम. बा. ए. ए. का 0.2 एम.

दस्तावेज जाँचा

हस्ताक्षर

(1) लेख्यकारी नाम एवं पूरा पता :-

श्री मनोहर तिवारी पिता का नाम स्व० दशरथ तिवारी, जाति ब्राह्मण,
निवास स्थान ग्राम बारालोटा, पोस्ट जी० एल० ए० कॉलेज, थाना
मेदिनीनगर, जिला पलामू, पेशा खेती, नागरिकता भारतीय।

शपथ पत्र सं०- 1102 दिनांक- 26-06-2020

(2) लेख्यधारिणी नाम एवं पूरा पता :-

श्रीमती खुशबु तिवारी पति का नाम श्री अनुप कुमार तिवारी, जाति
ब्राह्मण, पेशा गृहिणी, निवास स्थान ग्राम एवं पो० रंका बौलिया, थाना
एवं जिला गढ़वा।

शपथ पत्र सं०- 1103 दिनांक- 26-06-2020

कुमाल तिवारी
मनोहर तिवारी
गमन तिवारी
पलामू जिला

26.6.2020

3. लेख्य प्रकार:- विक्रय पत्र (Sale Deed)

4. मूल्य:- (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य:- मो0 4,66,000/- (चार लाख छेयासठ हजार) रूपये मात्र।

(ख) देय मूल्य:- मो0 4,66,000/- (चार लाख छेयासठ हजार) रूपये मात्र।

(ग) मौजा बारालोटा वार्ड नं0 6 का आवासीय रेट मो0 2,33,000/- रूपये मात्र प्रति डी0 के दर से

(5) सम्पत्ति का विवरण:- मवाजी 02 डी0 (दो डिसमील) जमीन आवासीय गृह निर्माण योग्य अन्तर्गत मौजा बारालोटा, अंचल कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू। इलाके एवं जिला अवर निबन्धन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू हकियत लेख्यकारी के पिता द्वारा खरीदगी केवाला से प्राप्त जमीन को बिक्री कर रहे हैं। इस दस्तावेज के साथ एक नक्शा संलग्न है जिसमें बिक्री की जाने वाली भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है, नक्शा इस दस्तावेज का अविभाज्य अंग वो अंश है:-

बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0	ह0 नं0
बारालोटा	198	58	1 स्टेट झारखण्ड	01

नगर निगम हो0 नं0 -06A0000063000M0

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा डी0 में	चौहदी
130 (एक सौ तीस)	1831 (अठारह सौ एकतीस)	02 डी0- (दो डिसमील)	उ0 नीज विक्रेता द0 राकेश तिवारी पू0 विक्रेता द्वारा दिया गया 10 फीट चौड़ा रास्ता पूर्व से प0 प्लॉट नं0 1845

जमीन का माप

उत्तर तरफ 30 फीट
दक्षिण तरफ 35 फीट

Handwritten signature and date: 28.11.2020

Handwritten notes and signatures: 28.11.2020, 10/11/20, 10/11/20, 10/11/20

वार्षिक लगान अनुमानित:- मो0 2/- रूपये अलावे सेस।

नाम मालिक :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी सदर मेदिनीनगर जिला पलामू।

विदित हो कि उपर वर्णित सम्पति लेख्यकारी के पिता ने स्वयं से खरीदगी हक हासिल है। जिसका केवाला नं0 7388 वास्ते दिनांक 19.06.1989 ई0 है नामांतरण होकर डिमांड लेख्यकारी के पिता के नाम से चलता है तथा कम्प्युटरीकृत पंजी दो के भाग वर्तमान 13 पृष्ठ सं0 17 पर दर्ज है। पिता जी के मृत्यु के बाद उपरोक्त सम्पति का बंटवारा दोनों भाइयों के बीच हो चुका है जो सम्पति लेख्यकारी के हिस्से में मिली है, जिस सम्पति पर लेख्यकारी का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ रहा है। इस सम्पति पर लेख्यकारी के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व हक अधिकार हिस्सा अथवा दखल कब्जा नहीं है और ना ही इस सम्पति पर आज तक किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदैन किया गया है। ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ही है। संक्षेप में यह सम्पति सभी दोषों से मुक्त है तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

यह कि लेख्यकारी को रूपये की सख्त जरूरत अपना विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते है, जिसका प्रबंध अपने पास से या अन्यत्र से कर पाने के लिए संभव प्रतित नहीं हुआ। एतएव इस संबंध में लेख्यकारी ने अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों से अच्छी तरह से विचार विमर्श किये और सर्वसम्मति से यही निश्चय किया कि उपर खाना संख्या पाँच में उपर वर्णित सम्पति को बिक्री कर दिया जाय और इसके मूल्य से प्राप्त राशि से अपने आवश्यक कार्य को पुरा किया जाए।

लेख्यकारी उपर वर्णित सम्पति की बिक्री की चर्चा कई व्यक्तियों के समक्ष किया तथा इस बात का प्रचार भी कराया परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीददार आए सबों ने इसको अलग-अलग मूल्यांकन किये परन्तु अंत में लेख्यधारिणी ने आकर इसका भलि भाँति निरीक्षण किये तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए इसका आज के बाजार भाव के मुताबिक उचित तथा अधिकतम मूल्य मो0 4,66,000/- (चार लाख दैसाठ हजार) रूपये मात्र में उक्त सम्पति का दाम देने के लिए तैयार हये इसलिए उक्त सम्पति का सौदा

मन्थु प्रिय
26.6.2020

राजेश कुमार
पिता जी राधा कुलवारिवादी
ग्राम कापलौडा
डाकखण्ड पलामू

30/6/20

यह कि देय मूल्य की पूरी राशि मो0 4,67,000/- (चार लाख सरसठ हजार) रूपये लेख्यधारिणी ने भुगतान कर चुके हैं। अब इसके मूल्य की रकम में से लेख्यकारी को लेख्यधारिणी से कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया है। इस प्रकार से इसकी मूल्य की पूरी राशि की वसूली के साथ ही यह केवाला (विक्रय पत्र) आज से पुरी तरह से असर में आ गया और इसके लेख्यकारी ने उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित सम्पति पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल कब्जा हटाकर इस पर खास लेख्यधारिणी को स्वामित्व तथा दखल कब्जा दे दिया। इस प्रकार से इस वर्णित सम्पति के सम्बन्ध लेख्यकारी को आज तक जो भी हक अधिकार तथा सुविधाएँ प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारिणी को प्राप्त हुए तथा अब लेख्यधारिणी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग कर के लाभ उठावें। इसमें अपनी इच्छानुसार घर का निर्माण करा कर अपने परिवार सहित निवास करें, चाहरदिवारी के अन्दर लावें या किराये पर लगावें अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे लेख्यकारी एवं इनके उत्तराधिकारियों अथवा स्थानापन्न को कुछ भी संबंध या सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में कभी रहेगा।

यह कि इस जमीन के संबंध में लेख्यधारिणी को चाहिए कि झारखण्ड सरकार के सिरिस्ते में इस सम्पति का दाखिल खारिज भी अंचल ऑफिस के द्वारा स्वयं अपने नाम से करा लें तथा इसके लगान की रसीदों को भी स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

मैंने लेख्यधारिणी को अच्छी तरह समझा दिया है कि उपर वर्णित जमीन में इसके लेख्यकारी के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान से ऋण इत्यादि नहीं लिया गया है। इस तथ्य के विपरीत कोई बात पायी जाती है तो इसकी भरपायी लेख्यकारी करने को सदैव तैयार रहेंगे।

इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि मंदिर-मस्जिद की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो रहा है।

लेख्यकारी इस विक्रय पत्र में वर्णित सभी बातों को पढ़कर एवं पढ़वाकर

28.4.2020

डर भय दबाव के इस दस्तावेज का निष्पादन स्वतंत्र गवाहों के समक्ष कर दे रहे हैं और निबन्धन कार्यालय से निबंधित करवा दे रहे हैं जो सम्पत्ति हस्तान्तरण का स्थायी प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

टंकक
लेख

खुशाबू तिवारी
26-6-2020



26/6/2020
खुशाबू तिवारी

मैं किस्मत मेहता दस्तावेज नवीस ला. न. 111/03 स्वान मेदिनीनगर, प्रमाणित करती हूँ कि दस्तावेज में जिस-जिस व्यक्ति का इमा-निचर लगा है का वापे हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे ब्याप्तने लिया गया है।

मजसुमकर्ता : किस्मत मेहता दस्तावेज नवीस ला. न. 111/03 स्वान मेदिनीनगर, डेवाला पद कर दोनों पक्षों को पूरा-समाप्त दिया बोले कि ठीक है ता: 26-06-2020